न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर।
सत्र परीक्षण संख्या–379/2025
सरकार ---- बनाम ---- नाजिम खान आदि।

मु०अ०सं०–166/2025
धारा–103(1),115(2),126(2),191(2),191(3),
351(3), 352, 3(5) बी०एन०एस०
थाना– खलीलाबाद, जनपद– सन्त कबीर नगर।

दिनांक–25.06.2025–

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त नाजिम खान की ओर से प्रार्थना पत्र 6 ख धारा–250 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा–103(1) बी०एन०एस० के स्थान पर धारा–105(2) बी०एन०एस० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाये।

अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि इस मामले में घटना की वास्तविकता अभियोजन साक्ष्य से ही संदिग्ध हो जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में 04 अभियुक्त को नामित किया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र हासिम को हॉकी, लाठी–डण्डा तथा बेसबाल के बैट से मारने–पीटने की बात कही गयी है, किन्तु पोस्टमार्टम की आख्या में मृतक हासिम के शरीर पर बाहर से कोई जाहिरा चोट नहीं है। पोस्टमार्टम की आख्या में मृतक के सिर के बांयी ओर टेम्पोरल पेराइटल रीजन से 07cm नीचे त्वचा के अन्दर जमा हुआ रक्त पाया गया। मृतक के शरीर पर अन्य कोई चोट नहीं पायी गयी। इस प्रकार वादी का यह कथन असत्य हो जाता है कि मृतक को कई व्यक्तियों द्वारा मारा–पीटा गया है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह भी कहा गया है कि घटना दिन के 11:30 बजे चौराहे की कही गयी है। वहां आसपास सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे रहे होंगे, किन्तु विवेचक द्वारा एक भी सी.सी.टी.वी. फुटेज को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी कहा गया है कि वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में जाकिर खान, इसराइल तथा श्रीमती शाहजहां के भी घटना में सम्मिलित होने की बात कही गयी थी, किन्तु विवेचना के दौरान जाकिर खान की लोकेशन महाराष्ट्र में, इसराइल की मगहर शेरपुर तथा श्रीमती शाहजहां की लोकेशन मोहस्थान पोस्ट पखुआपार, खलीलाबाद की पायी गयी, जिससे यह स्पष्ट था कि उक्त नामित अभियुक्तगण घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा झूठे कथन के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करवायी गयी थी। बहस के दौरान यह भी कहा गया है कि दुर्घटना वास्तव में वादी तथा अभियुक्त के दोनों वाहन के आमने सामने आ जाने के कारण घटित हुई थी अतः इस मामले में धारा–103(1) बी०एन०एस० के स्थान पर 105(2) बी०एन०एस० के अन्तर्गत ही आरोप विरचित किये जाने का आधार है।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र 6 ख के विरुद्ध मौखिक आपत्ति प्रस्तुत किया है और कहा गया है कि विवेचक की ओर से संकलित साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित धाराओं में आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है अतः प्रार्थना पत्र 6 ख निरस्त किया जाये। अभियोजन पक्ष की ओर से यह भी कहा गया है कि जहां किसी व्यक्ति की हत्या का आशय हो यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है कि हत्या किस हथियार से की गयी है। लाठी–डण्डे या सरिया से मार–पीट करने के कारण यह अनिवार्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्तगण का आशय हत्या का नहीं था।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता

(फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र 6 ख के माध्यम से जो कथन किया गया है उसमें कुछ कथन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सही व तर्कसंगत प्रतीत होता है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन सही है कि इस मामले में घटना के समय जाकिर खान, इसराइल, शाहजहां तथा अन्य 04 अज्ञात लोगों के घटनास्थल पर उपस्थित होने तथा घटना में सम्मिलित होने की बात कही गयी थी, किन्तु विवेचना के दौरान इसराइल तथा शाहजहां की लोकेशन के आधार पर उन्हें घटना में सम्मिलित नहीं पाया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना में जाकिर की सह की बात कही गयी थी, किन्तु विवेचना के दौरान जाकिर खान की लोकेशन महाराष्ट्र में पायी गयी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कई व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र हासिम के साथ मार–पीट करने की बात कही गयी है, किन्तु पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृतक के सिर के बायी तरफ टेम्पोरल पेराइटल रीजन की 7cm नीचे त्वचा के अन्दर जमा हुआ रक्त पाया गया। मृतक के शरीर पर अन्य कोई चोट मौजूद नहीं थी। उक्त विवरण से यह बात सामने आती है कि वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करवाते समय कई असत्य बातें जोड़ी गयी थीं।

उक्त तथ्यों के बावजूद इस प्रक्रम पर अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने या धारा–103(1) बी०एन०एस० के बजाय धारा–105(2) बी०एन०एस० के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में यहां सर्व प्रथम यह तथ्य उल्लेखनीय होगा कि आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर न्यायालय के समक्ष केवल विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य ही उपलब्ध होते हैं। यदि साक्षियों के बयान में यह बात कही जा रही है कि अभियुक्तगण का आशय हासिम की हत्या करना था और उन्होंने उसकी हत्या करने के लिए जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाई है तो इस प्रक्रम पर यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह जाता कि मृतक के शरीर पर एक चोट थी या कई चोट। इस प्रक्रम पर जो साक्ष्य विवेचक द्वारा संकलित किया गया है उसके अनुसार अभियुक्तगण की मार–पीट के कारण वादी के पुत्र हासिम की मृत्यु हुई है। यह विचारण के दौरान ही देखा जा सकता है कि वास्तव में घटना में कौन–कौन अभियुक्त शामिल थे या वास्तव में मृतक की चोट मार–पीट के दौरान आयी थी या अन्य किसी प्रकार से ?

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने या धारा 103(1) के बजाय 105(2) बी०एन०एस० के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का आधार नहीं है। प्रार्थना पत्र 6 ख निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6 ख **निरस्त** किया जाता है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–126(2), 191(2), 352, 351(3), 103(1) सपठित 3(5) व 61(2) बी०एन०एस० के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है अतः अभियुक्तगण उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु दिनांक 09.07.2025 को उपस्थित हों।

दिनांक–25.06.2025
रवीन्द्र कुमार/–

(महेन्द्र प्रसाद चौधरी)
[J.O.Code–UP05701]
सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

Digitally signed by MAHENDRA PRASAD CHAUDHARY
Date: 2025.06.25 16:18:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court